इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2014—श्रावण 30, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

अधि. क्र. एफ-1-13-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची—एक में उल्लिखित क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद्, विदिशा, जिला विदिशा, की सीमाओं में सिम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

''अनुसूची—एक

नगरपालिक परिषद्, विदिशा की सीमाओं से सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	जिला	तहसील	सम्मिलित की जाने वाली ग्राम पंचायत के नगरीय	सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों का नाम (सम्पूर्ण	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(2)	क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम)	(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विदिशा	विदिशा	टीलाखेडी	टीलाखेडी	200.877
2.	विदिशा	विदिशा	तमोरिया	तमोरिया	109.916
3.	विदिशा	विदिशा	मिर्जापुर	मिर्जापुर	301.000
4.	विदिशा	विदिशा	बैस	बैस	574.238
				योग	1186.031

अनुसूची—दो

उपरोक्त अनुसूची—एक में विहित क्षेत्र सिम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिका परिषद्, विदिशा, की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होगी:—

उत्तर में—ग्राम ढोलखेड़ी, ग्राम पंचायत, इमालिया तथा ग्राम पंचायत जीवाजीपुर.

पूर्व में -- ग्राम धातुरिया तथा ग्राम पंचायत पांझ.

दक्षिण में -- ग्राम सोठिया तथा ग्राम गेहं खेडी ग्राम पंचायत सोठिया.

पश्चिम में—ग्राम आमखेडा, रंगई ग्राम पंचायत करैया हवेली तथा ग्राम सुनपुरा ग्राम पंचायत सुनपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कें. कें. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. एफ-1-13-2014-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13-2014-अठारह-3, दिनांक 21 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 21st Agust 2014

Not. No. F-1-13-2014-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to include the areas mentioned in Schedule-I below within the limits of the Municipal Council, Vidisha, District Vidisha, namely:—

"SCHEDULE-I

The area of the villages included within the limits of Municipal Council, Vidisha shall be as follows:—

S. No.	District	Tehsil	Name of the Urban area of Gram Panchayat to be included	Name of the Villages to be included (whole revenue village)	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Vidisha	Vidisha	Telakheri	Telakheri	200.877
2.	Vidisha	Vidisha	Tamoria	Tamoria	109.916
3.	Vidisha	Vidisha	Mirjapur	Mirjapur	301.000
4.	Vidisha	Vidisha	Bais	Bais	574.238
				Total	1186.031

SCHEDULE—II

The revised boundaries of the Municipal Council, Vidisha, after including the area prescribed in Schedule-I above are as follows:—

North—Village Dholkhedi, Gram Panchayat, Imaliya and Jeevajipur.

East—Village Dhaturiya and Gram Panchayat Panih.

South—Village Sothia, Gehukhedi and Gram Panchayat Sothia.

West—Village Aamkheda, Ranghi, Gram Panchayat Karaiya Haveli and Village Sunpura, Gram Panchayat, Sunpura.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, K. K. KATIYA, Dy.Secy.